राजस्थान सरकार
राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/1287 जयपुर,दिनांकः 18/11/16

परिपत्र

राज्य में स्थित झीलो के विकास ओर संरक्षण के प्रयोजनार्थ राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अध्यादेश, 2015 का प्रकाशन दिनांक 25.01.2016 राजस्थान राज–पत्र विशेषांक में किया गया। उक्त अध्यादेश की धारा 2(x) में झील को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:–

" "झील" से, भूमि में स्थित ऐसी जलराशि अभिप्रेत है, जो चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, चाहे इसमें जल हो या न हो, और जो चाहे किसी राजस्व या अन्य शासकीय अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित की गयी हो या न की गयी हो, जिसका जलप्लावित क्षेत्र इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान किसी भी समय, सामाजिक–सांस्कृतिक, विरासत या धार्मिक महत्व की जलराशि के मामले में तीन हैक्टेयर से कम न हो, ओर अन्य मामलो में 10 हैक्टर से कम न हो।"

राज्य सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश 2015 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/3161 दिनांक 23.02.2015 द्वारा झील विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश, 2015 की धारा 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/3621 दिनांक 23.02.2015 प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय झील (संरक्षण और विकास) समिति का गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया। उक्त अधिसूचना दिनांक 23.02.2015 की प्रति पुनः सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। उक्त अध्यादेश को अधिनियम के माध्यम से दिनांक 27.03.2015 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है तथा उसके पश्चात् दिनांक 08.02.2016 को राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण, नियम, 2016 प्रेषित किये जा चुके है।

जिला स्तरीय झील (संरक्षण और विकास) समिति से यह अपेक्षित है कि उक्त समिति जिले में स्थित झीलो का सर्वे करवाकर उनके संरक्षण एवं विकास हेतु प्रस्ताव तैयार कर झील विकास प्राधिकरण को प्रेषित किया जावे साथ ही जिला स्तरीय समिति से यह भी अपेक्षित है कि इस प्रकार की झीलो के झील ऐरिया तथा प्रतिबंधित ऐरिया में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि तथा अवैध निर्माण न होने देवे। किन्तु एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राधिकरण को वांछित प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये है। जिससे प्राधिकरण द्वारा झीलो के विकास एवं संरक्षण हेतु धारा 4 व 5 के अन्तर्गत अधिसूचना राज्य सरकार के स्तर पर जारी नहीं की जा सकी है। जबकि समस्त जिला कलेक्टर्स को प्राधिकरण अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं अर्द्धशासकीय पत्रो के क्रम में अविलम्ब प्रस्ताव राज्य स्तरीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करने थे। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब अपने जिले में स्थित सभी झीलो का सर्वे करवाकर मय खसरा नम्बर एवं नक्शे सहित झील ऐरिया एवं प्रतिबंधित ऐरिया घोषित किये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति के माध्यम से प्रेषित करे तथा अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण भी स्पष्ट करे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

(डॉ0मनजीत सिंह) 18/11/16
प्रमुख शासन सचिव एवं
अध्यक्ष झील विकास प्राधिकरण

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/1288-1608 जयपुर,दिनांकः 18/11/2016
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार।
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
6. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ।
7. समस्त सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर सुधार न्यास राजस्थान।
8. संबंधित संरक्षक/उपवन संरक्षक राजस्थान।
9. संबंधित अधीक्षण/अधिषाशी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग।
10. निदेशक, पर्यटन विभाग।
11. निदेशक, मतस्य विभाग।
12. सचिव, राजस्थान पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी